Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 2 | November 2025 - April 2026 | pp. 30-35

स्थानीय निकायों के चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता : एक नवाचार

डॉ. चैनाराम मुंदलिया

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय बाँगड़ महाविद्यालय, डीडवाना (राजस्थान)

प्रीति मुंदलिया

एम.ए., राजनीति विज्ञान, डीडवाना, (राजस्थान)

शोध सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को जमीनी स्तर पर पहुंचाने हेतु शिक्षा एक आधारभूत तत्व है। आज जन-प्रतिनिधियों को लोगों की समस्याओं के निराकरण करने के साथ कई आर्थिक, सामाजिक, कानूनी मामलों में अपनी राय रखनी पड़ती है, जिसके लिए उसका शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित जन-प्रतिनिधि अधिक कुशलता से प्रशासनिक एवं विकास कार्य कर सकता है। यही कारण है कि राजनेताओं की शैक्षणिक योग्यता आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गयी है। राजस्थान में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता लागू करने हेतु यह तर्क आवश्यक है कि राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के विकास की गति समयानुचित नहीं होने, लोकतान्त्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने, बौद्धिक क्षमता एवं विवेकशीलता के द्वारा ग्रामीण विकास को उचित गति देना, विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु प्राथमिक आवश्यकता दिखाई देती है। अतः जनप्रतिनिधियों हेतु शैक्षिक योग्यता का प्रावधान आवश्यक है। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव में जनप्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक प्रावधान के सबल एवं दुर्बल पक्ष को उजागर करना है। साथ ही इस नवाचार के समक्ष आने वाली बाधाओं एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव देना है।

संकेताक्षर—*स्थानीय निकाय, 73वां संविधान संशोधन, सरपंच पति, शिक्षा, जागरूकता, तकनीक कुशलता*

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि लोकतन्त्र के दर्शन का है। प्राचीन समय से स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत पंचायत व्यवस्था का इतिहास विभिन्न शासन कालों में ऐतिहासिक सामग्री में उपलब्ध रहा है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव सन् 1882 में ब्रिटिश शासन काल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड रिपन के प्रस्ताव के द्वारा रखी गई थी। सन् 1928 बीकानेर एवं जयपुर की देशी रियासतों के द्वारा दिये गये प्रस्ताव से यह यात्रा पथ प्रदर्शक के रूप में अविरल गुजरती गई। गांधी जी ने कहा था कि "गाँव भारत की आत्मा का आधार है यदि भारत का विकास करना है तो प्रत्येक गाँव को आत्म निर्भर बनाना होगा।" स्वतंत्रता के पश्चात् स्थानीय स्वशासन के लिये नवीन युग का सूत्रपात हुआ। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा गाँधी जी के दिये गये स्वशासन के मार्ग को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के द्वारा राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना व इससे सम्बन्धित कदम उठाने हेतु निर्देशित किया गया कि वह पंचायतों को आवश्यक अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करें जिससे वह स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें।

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू का लोकतन्त्र और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को स्थापित करने में अटूट विश्वास था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने में उनके क्रियाशील इरादों की महत्वपूर्ण देन है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण व मेहता समिति

की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई। भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण व स्थानीय स्वशासन हेतु 1964 में सादिक अली, 1973 में गिरधारी लाल व्यास, 1978 में अशोक मेहता, 1986 में एम.एल. सिंघवी, 1988 में थुंगन आदि के नेतृत्व में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर ही भारतीय स्थानीय स्वशासन को कल्पवृक्ष के रूप में स्थापित किया गया। भारत के बदलते वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य में पंचायतों की भूमिका और अधिक सक्षम, सशक्त एवं जवाबदेही बनाने के लिये सरकार के द्वारा एक बार पुनः जमीनी स्तर पर प्रयास किये गये एवं इसी क्रम में भारत में 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन से प्राप्त पंचायती राज अधिनियम को नवाचारी रूप से लागू किया और इस अधिनियम को संविधान के भाग-9 और 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। भारत के पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, त्रि-स्तरीय प्रतिनिधित्व, निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, कार्यकाल, आरक्षण, महिलाओं को प्रतिनिधित्व, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आदि के रूप में नवसृजित किया गया था।

राजस्थान में पंचायती राज की नई संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में भी पंचायती राज अधिनियम ग्रामीण स्वशासन को पारित किया गया। राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या 6.90 करोड़ व इसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 75 प्रतिशत है। यहाँ त्रि-स्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता होने के कारण कुल 33 जिला परिषदें, 295 पंचायत समितियाँ, 9894 ग्राम पंचायतों का त्रि-स्तरीय संगठन लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को सशक्त बना रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य भारतीय इतिहास का पहला राज्य है जहाँ दिनांक 20.12.2014 को अध्यादेश द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की सं. 13 की धारा 19 में संशोधन कर पंचायती राज के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को आवश्यक रूप से लागू किया गया है जो बाद में राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2015 के रुप में जाना गया। नये संशोधित अधिनियम के द्वारा जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के उम्मीदवारों के लिये 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, सरपंचों के उम्मीदवारों के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सरपंच उम्मीदवारों के लिये 5वीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता अनिवार्य की गई है। राजस्थान के पश्चात् हरियाणा दूसरा राज्य है जहाँ सन् 2015 में पंचायती राज के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को लागू किया गया है। दोनों ही राज्यों में चुनावी परिदृश्य में परिवर्तन की आशंका को ध्यान में रखते हुये इस अधिनियम पर रोक लगाने हेतु विरोधी पक्ष न्यायालय की शरण में गये लेकिन भारतीय न्यायपालिका की राह भी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के द्वारा लोकतान्त्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत करने पर रही थी। किसी भी समाज के समावेशी विकास के लिये शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता होती है। शिक्षा का आदर्श है "सा विद्या या विमुक्तये" शिक्षा वह जो मुक्त करे, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के मार्ग में आने वाली विभिन्न विकृतियों की शिक्षा के द्वारा ही मुक्ति सम्भव है। इस हेतु राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवारों के लिये जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता लागू किया गया।

राजस्थान में इस संशोधन के द्वारा राज्य में विकास का प्रवाह बदलाव के रूप में हमें युवा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व, शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं प्रोत्साहन, प्रतिनिधियों की गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन, वित्तीय लेन-देन पारदर्शिता, वंशवाद-परम्परावाद पर चोट, प्रशासन व प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय, स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण को सम्बलता, बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी सुविधा का विस्तार आदि अनेक पक्षों पर प्रभाव दिखाई पड़ रहे है।

साहित्य समीक्षा

भारद्वाज निधि (2012)—"महिला सशक्तिकरण" सागर पब्लिकेशन, जयपुर। जोशी आर.पी. व मंगलानी रूपा (सम्पादक) (2000) "भारत में पंचायती राज" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। सिंह डॉ. विजय करण (2005)" पंचायती राज व्यवस्था" आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स,जयपुर। त्रिपाठी मधुसूदन (2015) "संविधान और महिला अधिकार" महेन्द्र बुक कम्पनी, गुडगाँव वर्मा अंजली (2009) "भारत में पंचायती राज" ओमोगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

वीर डॉ. गौतम (2009) "पंचायती राज व्यवस्था" ओमोगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली। बहल विनोद (जून 2017) "समावेशी विकास के माध्यम से ग्रामीण बदलाव" पर

आलेख, घोष नीलाब्जा (जुलाई 2017) "कृषक कल्याण का निश्चय : सपना और हकीकत" योजना, नई दिल्ली कुमारी सविता (नवम्बर 2017) "ई-शासन से बढ़ता ग्रामीण भारत" प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली मोहन अरविंद (अगस्त 2013) "लोकतंत्र का जयघोष" योजना, नई दिल्ली समीरा सौरभ (फरवरी 2017) "नगदरहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर" योजना, नई दिल्ली सिन्हा अमरजीत (अक्टूबर 2017) "सशक्तिकरण की ओर ग्रामीण भारत" योजना, नई दिल्ली सिंह हरवीर (जुलाई 2017) "बदल रहा है किसान" आउटलुक, नई दिल्ली शर्मा डॉ. जी.एल.(फरवरी 2016) "भारत में चुनाव सुधार" प्रतियोगिता दृष्टि, नई दिल्ली।

शोध के उद्देश्य

- राजस्थान के पंचायती राज चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता का अध्ययन करना।
- राजस्थान के पंचायती राज चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
- राजस्थान के पंचायती राज चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता द्वारा सरकारी योजना कार्यक्रम व नीतियों के क्रियान्वयन पर पड़े प्रभाव का अध्ययन।
- राजस्थान के पंचायती राज चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता लागू होने से जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता में परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

प्रस्तावित शोध अध्ययन में डीडवाना-कुचामन जिले की 5 पंचायत समिति डीडवाना, मौलासर कुचामन, लाडनूं एवं परबतसर का सूक्ष्म अध्ययन हेतु चयन सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया। इन 5 पंचायत समितियों में से प्रत्येक पंचायत समिति में से 4-4 ग्राम पंचायतों का चयन कर एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में से 20-20 उत्तरदाताओं का चयन निर्देशन पद्धति के द्वारा करते हुये कुल 400 उत्तरदाताओं का चयन किया गया एवं अनुसूची द्वारा इन उत्तरदाताओं की अनुभूतियों के तथ्य एकत्रित किये गये तथा जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार भी लिये गये।

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता

राजस्थान में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता लागू करने हेतु यह तर्क आवश्यक है कि राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के विकास की गति समयानुचित नहीं होने, लोकतान्त्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने, बौद्धिक क्षमता एवं विवेकशीलता के द्वारा ग्रामीण विकास को उचित गति देना, विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु प्राथमिक आवश्यकता दिखाई देती है। अतः जनप्रतिनिधियों हेतु शैक्षिक योग्यता का प्रावधान आवश्यक है।

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता लागू होने के सम्बन्ध में कमजोर पक्ष

बुनियादी शैक्षणिक योग्यता के भी व्यक्ति को भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करना आज के युग में स्वीकार्य नहीं हो सकता। यह सत्य है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के मूल ज्ञान पर सवाल नहीं उठा सकता जिसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, चाहे वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हो या शिक्षा की अनुपलब्धता के कारण। हालांकि, यह स्वीकार करना असंभव है कि एक व्यक्ति जिसके पास साक्षरता का कार्यात्मक कौशल भी नहीं है, उसे राज्य व्यवस्था पर शासन करना चाहिए।

इस अध्यादेश के लागू होने के बाद अचानक अनपढ़ व्यक्ति पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य हो गये हैं। अधिक उम्र होने के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोग विशेषकर महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव लड़ना और अधिक कठिन हो जायेगा। इस अध्यादेश द्वारा पंच और उप सरपंच हेतु कोई योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया जबकि सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच यदि अनिवार्य योग्यता नहीं रखता हो सरपंच का कार्य कर सकता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता लागू होने के पश्चात पूर्व की भांति चुनाव लड़ने से संबंधित मामलों में बढ़ोत्तरी हुई। पंचायत चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के नवीन प्रावधानों से सरपंच पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा कुछ क्षेत्रों में फर्जी अंकतालिका, दस्तावेजों से संबंधित मामले प्रशासन के सम्मुख आये। पंचायत चुनाव में इस प्रकार के मामले अधिक दिखाई दिये जहाँ जातिगत संकीर्ण और सत्ता की समान्तवादी प्रवृति को वे निरन्तर चाहते थे। कुछ मामले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आरक्षित सरपंच पदों वाले क्षेत्रों में भी रहे जहाँ नये प्रावधान अनुसार शैक्षिक योग्यता उम्मीदवारों की

अनुपलब्धता थी। पंचायत चुनाव में प्रशासन के सम्मुख इस प्रकार के सभी मामलों पर उचित कार्यवाही की गई।

स्थानीय निकायों के चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

विधि विभाग (ग्रुप 2), राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा 20 दिसम्बर 2014 को पंचायतों में शैक्षणिक प्रावधानों हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया जिसे राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014 या राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2015 नाम दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं— अर्थात्—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 है। (2) यह तुरंत प्रदत्त होगा।

वर्ष 1994 के राजस्थान अधिनियम सं., 13 की धारा 19 का संशोधन—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में (i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह ':' के स्थान पर विराम चिन्ह ' प्रतिस्थापित किया जायेगा। (ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (य) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड अन्तः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् '(द) जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो (ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो और (न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो और (i) स्पष्टीकरण-ii के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् स्पष्टीकरण iii इस धारा के खण्ड (ध) और (न) के प्रयोजन के लिए (i) अनुसूचित क्षेत्र से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेरित है और (ii) शब्द 'विद्यालय' का वही अर्थ होगा जो उसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में दिया गया है।

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का सबल पक्ष

किसी अच्छे राजनेता की परिभाषा अत्यधिक व्यक्तिपरक होती है और किसी व्यक्ति से अपेक्षित गुण भी बहुत अस्पष्ट होते हैं। यदि विभिन्न लोगों से राजनेताओं के अपेक्षित गुणों के बारे में पूछा जाए तो विभिन्न उत्तर प्राप्त होते हैं। इन उत्तरों में से ईमानदारी, विश्वसनीयता, आम लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता और संकटों से निपटने की ताकत जैसे गुण सबसे अधिक होते हैं। हालांकि, क्या यह मानने के कई कारण हैं कि आधुनिक, शिक्षित राजनेता बेहतर नेता होंगे, खासकर स्थानीय स्तर पर। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में इस नवाचार द्वारा शिक्षा के प्रति ग्रामीणों में एवं नवजागृत दृष्टिकोण दिखाई दिया एवं वह जीवन को सफल बनाने एवं इसके मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु शिक्षा के अमूल्य स्थान को एक नवसृजित रूप में देखने लगे। राजस्थान के पंचायती राज में इस नव बदलाव की गूंज देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंची और स्थानीय स्वशासन में इस नये बदलाव का वहाँ चिन्तन, मंथन हुआ। हरियाणा राज्य द्वारा भी 2015 में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के प्रावधान को लागू किया गया था जो समावेशी विकास को मजबूती प्रदान करने हेतु निरन्तर जारी है।

भारत में इस नवीन धारणा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर बदलाव जारी है और इन नवीन बदलाव, परिवर्तनों, सुधारों द्वारा जो स्वस्थ समाज के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसमें स्थानीय स्वशासन भी अपना सक्रिय एवं महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के मूल्यों की पूर्ण स्थापना सामाजिक एवं आर्थिक न्याय में अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है जो स्वस्थ समाज को सशक्त बनाने हेतु सदैव सतत् प्रयासरत रहता है। स्थानीय स्वशासन की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने हेतु राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2015 आया जिसमें शैक्षिक योग्यता द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासत समावेशी विकास को नव परिष्कृत मार्ग उपलब्ध कराया गया, जो निम्न महत्वपूर्ण आधारों के द्वारा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के मजबूत पक्ष को दर्शाता है।

ISSN 2348-3857

वित्तीय संसाधनों से संबंधित कठिनाइयाँ

सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों के भुगतान ठेकेदारों को सरपंच के हस्ताक्षर के बाद ही जारी होता है। हर साल पंचायतों को करोड़ों रुपए बजट मिलता है। सरपंच को पाक्षिक बैठक में आय-व्यय का हिसाब पढ़कर सुनाना होता है तथा बजट का निर्माण भी करना होता है साथ ही विभिन्न कार्यों की ऑडिट भी करवानी होती है। ये सभी कार्य शिक्षित जन-प्रतिनिधि अधिक कुशलता से कर सकता है।

योजनाओं का निरीक्षणः ग्राम स्तर पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में जन कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही है। जन-प्रतिनिधियों पर इन योजनाओं को सफल संचालन की जिम्मेदारी होती है जिसके लिए इन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही इन योजनाओं की मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी जन-प्रतिनिधियों पर होती है। ये कार्य एक शिक्षित जन-प्रतिनिधि सफलतापूर्वक कर सकता है। पंचायतीराज और निकायों में जीत कर आने वाला व्यक्ति कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो हो कि साइन किस पर कर रहा है, उसको वह तो पता रहे। वह पढ़ा लिखा होगा तो योजना धरातल पर भी उतर सकेगी। नई सरकार ने फिर से व्यवस्था बदली है जो कि समाजहित में नहीं है।

ई-पंचायत पोर्टल से संबंधित कठिनाइयाँ

दो साल पहले लागू किए ई-पंचायत पोर्टल से डिजिटल ट्रांजेक्शन का सरपंचों ने विरोध किया था। इस पोर्टल के लागू होने के बाद लाभार्थियों और ठेकेदारों को भुगतान चेक की बजाय ऑनलाइन उनके खाते में होना शुरू हुआ। पोर्टल पर भुगतान करते वक्त सरपंच-सचिव के मोबाइल पर ओटीपी आता है इस ओटीपी को ऑनलाइन दर्ज करने पर संबंधित लाभार्थी के खाते में भुगतान होता है लेकिन इस डिजिटल प्रणाली को सरपंच ठीक से समझ नहीं पाए।

प्रशासनिक कार्य

पंचायत एवं ग्राम स्तर पर प्रधान एवं सरपंच की सहायता के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है जो विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। सरपंच पढ़ा-लिखा नहीं होगा तो उसका काम सचिव और दूसरे कर्मचारी करेंगे। अनपढ़ सरपंच सिर्फ कठपुतली बन जाता है। जहां हस्ताक्षर करने हों, वह बिना पढ़े लिखे कर देगा, वह खुद भी फंस सकता है। सरकार की योजनाओं की ऑडिट और आदेशों की जानकारी नहीं ले पाएगा। अनपढ़ सरपंच तो सचिव के इशारों पर ही नाचेगा। अंगूठा लगाने वाले को क्या पता होगा कि विकास का क्या काम हो रहा है। मुद्दे भी नहीं उठा पाएगा। यह निर्णय प्रदेश को गर्त में ले जाएगा।

कानूनी बाधाएँ

अनपढ़ सरपंच से जहां साइन कराओगे, वह कर देगा, क्योंकि वह जिस कागज पर साइन करेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि उसमें लिखा क्या है। ऐसे में कई सरपंच कानूनी दायरे में फंस जाते हैं पहले भी ऐसे हो चुका है जब अनपढ़ सरपंचों से लाखों की वसूलियां हुई और कानूनी कार्रवाई हुई। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मार्ग में आने वाली विभिन्न बुनियादी समस्याओं के निवारण हेतु पंचायतीराज चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता के कारण उक्त प्रावधान को स्थानीय स्वशासन के धरातल पर उतारा गया है। राजस्थान में अध्यादेश द्वारा लागू अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का प्रावधान जो राजस्थान पंचायतीराज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2015 के नाम से जाना गया है।

निष्कर्ष

अभी तक खोजें गए विभिन्न शासन स्वरूपों में लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। यह शासन व्यवस्था जन सहभागिता और सहमति पर आधारित होती है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में शासन शक्ति को निचले सोपान तक विभाजित करना सदैव श्रेष्ठ माना जाता है। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास को विश्वसनीय जवाबदेही मार्ग प्रदान करता है एवं विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाता है। इसी कारण स्थानीय स्वशासन जनता के बेहद करीब होता है। स्थानीय स्वशासन जिसे पंचायती राज कहा जा है, भारत में लोकतंत्र की पाठशाला है। इस पाठशाला से प्रशिक्षित जन प्रतिनिधि देश की केन्द्रीय सत्ता तक पहुँचकर भारतीय विकास के प्रभाव को गति प्रदान करते हैं। वैश्विक नवनिर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 1994 में संवैधानिक स्वरूप द्वारा व्यापक स्तर पर परिवर्तन आया है। बीस वर्ष के नवीन संवैधानिक स्वरूप में और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से

जनप्रतिनिधियों को शिक्षित होने की अपेक्षाओं को गहराई से महसूस किया गया। अतः राजस्थान में पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2015 द्वारा पंचायत चुनाव में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के प्रावधान को जोड़ा गया।

पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा अति आवश्यक नवसृजित प्रावधान है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का सन्देश गया हुआ है एवं शिक्षा के द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा मिला साथ ही गांव की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संसाधनों के समुचित उपयोग के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ है शिक्षा के द्वारा वैश्विक निर्माण की प्रक्रिया में स्थानीय स्वशासन भी समुचित गति प्रदान करते हुए समग्र विकास को बढ़ावा दे रहा है।

जनसांख्यिकी संरचना के संतुलन को बनाए रखने हेतु वर्ष 2019 में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के प्रावधान को वापस ले लिया गया। हम यह जानते है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिवर्तन का प्रारंभ निचले सोपान से ही होता है। अतः स्वस्थ समाज के निर्माण की सहयोगात्मक प्रक्रिया से यह अपेक्षा है कि जनतंत्रीय नेतृत्व की इस मार्ग को पुनः नवमार्ग के रूप में संचालित करने की आवश्यकता दिखाई देती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा (2000) भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ.सं. 3
2. शर्मा, अशोक, भारत में स्थानीय स्वशासन, आर.बी.एस.ए पब्लिशर्स, जयपुर, 2009, पृ.सं. 8
3. महीपाल, पंचायती राज : चुनौतियां एवं संभवानाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2005, पृ.सं. 5
4. उपर्युक्त, पृ.सं. 11
5. राजा, एम.जी. बसव, सतत् विकास, ग्राम विकास पर महात्मा गाँधी का दृष्टिकोण, योजना पत्रिका, दिसम्बर अंक, 2020, पृ.सं. 48
6. महीपाल, पंचायती राज : चुनौतियां एवं संभवानाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2019, पृ.सं. 14
7. जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा, भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ.सं. 5
8. प्राण, चन्द्रशेखर, 73वां संविधान संशोधन : पंचायती राज व्यवस्था, योजना पत्रिका, अप्रैल अंक, 2020, पृ.सं. 48
9. कोडान, आनन्द सिंह एवं सिंह, नरेन्द्र, पंचायती राज और महिला सशक्तीकरण, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, जून, 2010, पृ.सं. 12
10. आशीर्वादम, ए.डी., राजनीति विज्ञान, एस. चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1997, पृ.सं. 660
11. पुरी, आरती, चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज, वॉल्यूम प्रथम 8, अंक 5, 2018
12. भल्ला, आर.पी., इलेक्शन इन इण्डिया लीगेसी एण्ड विजन, एस. चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1998
13. राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम, विधि (विधायी) प्रारूपण विभाग, राजस्थान राजपत्र विशेषांक, 20 दिसम्बर 2014
14. राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम, विधि (विधायी) प्रारूपण विभाग, राजस्थान राजपत्र विशेषांक, 22 फरवरी 2019
15. देवा, बरखा, बिग क्वेशचन फॉर दी जेनेरेशन, दी हिन्दू, नई दिल्ली, दिसम्बर, 2015